"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31 | रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2005—श्रावण 14, शक 1927

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आलोक गोयल आ. श्री श्यामलाल, निवासी क्वा. नं. 54 बी, जी पाकेट मरोदा सेक्टर, भिलाई तह. व जिला दुर्ग का हूं.

मैं बी. एस. पी. भिलाई में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं, मेरा प. नम्बर 301286, डिपार्टमेन्ट आर. सी. एल. में कार्यरत हूं.

मैं अपने पुत्र वासु जन्म दिनांक 2-7-2002 का नाम बदल कर सम्यक गोयल रख लिया हूं जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है.

अत: अब मेरे पुत्र को सम्यक गोयल पिता आलोक गोयल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
वासु पिता आलोक गोयल निवासी क्वा. नं. 54 बी, जी पाकेट मरोदा सेक्टर, भिलाई.	सम्यक गोयल पिता आलोक गोयल निवासी क्वा. नं. 54 बी, जी प्राकेट मरोदा सेक्टर, भिलाई.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शंकर लाल आ. श्री रोशन लाल निवासी से. 6, क्वा. नं. 7-एच सड़क एवन्यू-डी भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का हूं.

मैं अपने पुत्री सीमा अग्रवाल जन्म दिनांक 11-12-2002 का नाम बदलकर सुरभि अग्रवाल रख लिया हूं जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को सुरभि अग्रवाल पिता शंकर लाल अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सीमा अग्रवाल पिता शंकर लाल अग्रवाल निवासी से. 6, AVE-D, 7-H भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सुरभि अग्रवाल पिता शंकर लाल अग्रवाल निवासी से. 6, AVE-D, 7-H भिलाई, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नुतेन्द्र कुमार आत्मज श्री जी. एल. नायक निवासी क्वा. नं. 64 एच, सड़क नं. 16, सेक्टर 2, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का हूं.

मैं बी. एस. पी. भिलाई में क्रेन आपरेटर के पद पर कार्यरत हूं.

मैं अपने पुत्र शुभांक जन्म तिथि 4-11-1999 का नाम बदल कर प्रखर नायक रख लिया हूं जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को प्रखर नायक आ. नुतेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शुभांक पिता नुतेन्द्र कुमार निवासी क्वा. नं. 64 एच, सड़क नं. 16 सेक्टर 2 भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़	प्रखर नायक पिता नुतेन्द्र कुमार निवासी क्वा. नं. 64 एच, सड़क नं. 16 सेक्टर 2 भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. मधु मिश्रा आत्मजा श्री मुरारी लाल मिश्रा निवासी रूद्री धमतरी की हूं.

दिनांक 22-4-2004 को मेरा विवाह मुकुट नगर रायपुर निवासी श्री संजीव तिवारी आत्मज डा. आर. एन. तिवारी के साथ हुआ. विवाहोपरांत मेरा नाम बदल कर श्रीमती मधु तिवारी पति श्री संजीव तिवारी हो गया जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती मधु तिवारी पति श्री संजीव तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. मधु मिश्रा पिता श्री मुरारी लाल मिश्रा निवासी रुद्री धमतरी	श्रीमती मधु तिवारी पति श्री संजीव तिवारी मुकुट नगर रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती सरोज सिंह कोर्पे पति श्री सोमन सिंह कोर्पे निवासी 8 एन/34/से. 7 भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं.

मैं अपना नाम श्रीमती सरोज सिंह कोर्पे को परिवर्तित कर श्रीमती सरोज बाला कोर्पे रख ली हूं जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे सरोज बाला कोर्पे पति श्री सोमन सिंह कोर्पे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती सरोज सिंह कोर्पे 8 एन/34/से. 7, भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती सरोज बाला कोर्पे 8 एन/34/से. 7, भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अशोक उमरे पिता श्री रोहिदास सदाशिव उमरे निवासी क्वा. नं. 6 ए, सड़क नं. 76, सेक्टर 6, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग छ. ग. का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में सेवारत हूं.

मैं अपना नाम अशोक उमरे को बदल कर नया नाम अशोक रोहिदास भावे कर लिया हूं जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अशोक रोहिदास भावे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अशोक उमरे पिता रोहिदास सदाशिव उमरे निवासी क्वा. नं. 6 ए, सड़क नं. 76, सेक्टर 6 भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	अशोक रोहिदास भावे पिता रोहिदास सदाशिव उमरे निवासी क्वा. नं. 6 ए, सड़क नं. 76, सेक्टर 6 भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

निविदा आमंत्रण सूचना

बिलासपुर, दिनांक 13 जुलाई 2005

निविदा क्रमांक 12/त.शा./का. अ./लो. स्वा./05-06.—मुहरबंद एकमुश्त समूहवार निविदाएं प्रपत्र "अ" में निम्नलिखित उल्लेखित नल जल योजना/स्थल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु "टर्न की जाब" के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की समय सारिणी के अनुसार केवल छ. ग. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा उसी दिन निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे.

निविदा की समय सारिणी (केवल बिलासपुर खंड में)

(1)	कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	03-08-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से जारी करने की तिथि एवं समय	:	04-08-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(3)	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	:	05-08-2005 (अपरान्ह 3 बजे तक)
(4)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	05-08-2005 (अपरान्ह 3.30 बजे तक)

कार्य का विवरण

बिलासपुर जिले के पथरिया विकास खंड में स्थित ग्राम लोहदा नल जल स्थल योजना एवं गौरेला विकास खंड के ग्राम चुकतीपानी (बजारदांड) स्थल योजना के तहत जल वितरण प्रणाली के लिये विभिन्न आकार के जी. आई. पाईप (मिडियम श्रेणी) बिछाने एवं जोड़ने का कार्य/कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का संलग्न शेड्यूल के अनुसार स्थल पर प्रदाय, बिछाने एवं जोड़ने का कार्य एवं पंपगृह निर्माण का कार्य (विभागीय टाइप डिजाईन के अनुसार) समस्त सिविल कार्य तथा वाल्व चैम्बर, स्टेण्डपोस्ट इत्यादि का निर्माण इन्टर कनेक्शन टेस्टिंग तथा पाईप लाइन चालू करने का एकमुश्त कार्य. (सभी सामग्री सहित). (संलग्न G/Schedule के अनुसार)

समूह क्रमांक (1)	योजना का नाम (2)	अनुमानित लागत (रु. लाखों में) (3)	धरोहर की राशि (रुपये) (4)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये) (5)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा ऋतु छोड़कर) (6)	ठेकेदारों की श्रेणी (7)
1.	ग्राम लोहदा विकास खंड, पथरिया (उल्लेखित विवरण के अनुसार)	4.00 लाख	3000/-	750/-	3 माह	"बी श्रेणी" एवं उससे ऊपर
2.	ग्राम चुकतीपानी (बजार दांड) विकास खंड, गौरेला (उल्लेखित विवरण के अनुसार) 1 नग पंप हाऊस निर्माण	2.30 लाख	2000/-	750/-	2 माह	"बी श्रेणी" एवं उससे ऊपर

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा की अन्य शर्तें मुख्य निविदा एवं संक्षिप्त निविदा सूचना के अनुसार होगी. निविदा की अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

2. निविदा प्रपत्र एवं अन्य संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र का मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रुपये 50/- (पचास रु. मात्र) डाक शुल्क देना होगा. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र खो जाने अथवा समय पर प्राप्त न होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. यह निविदा विज्ञप्ति संबंधित निविदा का अंग है. विस्तृत निविदा सूचना एवं संबंधित प्रपत्रों की सारी शर्तें एवं नियमों के साथ इसके शर्तें भी लागू होंगे.

4. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

5. कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित दर सूची इस निविदा में लागू होगी.

सिविल कार्य :—

(अ) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़क), भोपाल की नई दर सूची दिनांक 1-1-2000 से इस विभाग में लागू की गई है.

(ब) **पाईप लाईन बिछाने का कार्य :**—प्रमुख अभियंता, लोक स्वा. यां. विभाग, भोपाल (म. प्र.) की नयी Unified Schedule of Rates for the work of water Supply & Sewerage pipe lines inforce for 1-9-2002 जो कि छ. ग. शासन उप-सचिव, लोक स्वा. यां. विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1597/सचिव/लो. स्वा. यां./रायपुर, दिनांक 1-10-2004 के अनुसार लागू की गई है.

उपरोक्त दोनों दर सूची निविदा जारी होने की दिनांक से समस्त संशोधन सहित लागू होगी.

6. कार्य में लगने वाले G. I. Pipes (Class Medium) का प्रदाय ठेकेदार को स्वयं करना होगा एवं कार्य स्थल तक परिवहन लोडिंग-अनलोडिंग ठेकेदार को स्वयं करना होगा. किसी भी तरह की टूट-फूट के लिये स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होगा.

7. कार्य में लगने वाला सीमेंट ठेकेदार को स्वयं क्रय कर कार्य में लगाना होगा. सीमेंट का प्रदाय ISI मार्क OPC सीमेंट IS:A 269/75 पूर्ण संशोधित लगाना होगा, साथ ही Test प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

8. कार्य में लगने वाले G. I. Pipes (Class Medium), के लिए लगने वाले वाल्व, स्पेशल्स, एवं अन्य आवश्यक सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा. प्रदाय की जाने वाली सामग्री D.G.S. & D./S.G.C./RITES द्वारा संबंधित I.S. Code के अनुसार निरक्षित एवं सत्यापित होनी चाहिये.

9. कार्य में लगने वाला स्टील ठेकेदार को लगाना होगा एवं स्टील का Testing प्रमाण पत्र समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा.

10. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा कम/अधिक की जा सकती है.

11. सक्षम अधिकारी को निविदा स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

12. निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.
(Attested copy)
(1) नवीन आयकर प्रमाण पत्र/छ. ग. शासन का वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण पत्र.
(2) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र.
(3) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निष्पादन प्रमाण पत्र के साथ संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये समान प्रकार के कार्यों की सूची, कार्य अनुबंधवार छ.ग. शासन के विक्री पर पंजीकृत प्रमाण पत्र तथा कार्य का नाम मंडल/विभाग का नाम, कार्य की मात्रा, प्रगति

में कार्य की स्थिति तथा टिप्पणियों के साथ कार्यों की सूची संलग्न करना होगा. सफलतापूर्वक कार्य के संपादन हेतु उपलब्ध उपकरण/संयंत्रों की पूरी सूची.

13. छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 1-10-2004 के अनुसार कार्य के निरीक्षण में Third party Inspection का प्रावधान रखा गया है. इस तरह का निरीक्षण, बिलासपुर संभाग के अन्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सक्षम अधिकारी (बिलासपुर खंड को छोड़कर) समय-समय पर किया जावेगा. निरीक्षण के पश्चात् ही Payment schedule के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यो का भुगतान कार्य की गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात् किया जावेगा.

14. समस्त विवादों का निपटारा "सक्षम न्यायालय" में बिलासपुर जिले के अन्तर्गत किया जावेगा.

15. निविदा सूचना छ.ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders में भी उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार/फर्म उक्त विज्ञप्ति E MAIL के माध्यम से Pramarao @ c.g.nic. प्राप्त कर सकते हैं.

निविदा आमंत्रण सूचना

बिलासपुर, दिनांक 13 जुलाई 2005

निविदा क्रमांक 13/त.शा./का. अ./लो. स्वा./05-06.—मुहरबंद एकमुश्त समूहवार निविदाएं प्रपत्र "अ" में निम्नलिखित उल्लेखित नल जल योजना/स्थल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु "टर्न की जाब" के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की समय सारिणी के अनुसार केवल छ. ग. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा उसी दिन निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे.

निविदा की समय सारिणी (केवल बिलासपुर खंड में)

(1)	कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	06-08-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से जारी करने की तिथि एवं समय	:	08-08-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(3)	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	:	09-08-2005 (अपरान्ह 3 बजे तक)
(4)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	09-08-2005 (अपरान्ह 3.30 बजे तक)

कार्य का विवरण

बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड में स्थित ग्राम सैंदा (सुदृढ़ीकरण) नल जल स्थल योजना के तहत जल वितरण प्रणाली के लिये विभिन्न आकार के जी. आई. पाईप (मिडियम श्रेणी) बिछाने एवं जोड़ने का कार्य/कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का संलग्न शेड्यूल के अनुसार स्थल पर प्रदाय, बिछाने एवं जोड़ने का कार्य एवं समस्त सिविल कार्य तथा वाल्ब चैम्बर, स्टेण्डपोस्ट इत्यादि का निर्माण इन्टर कनेक्शन टेस्टिंग तथा पाईप लाइन चालू करने का एकमुश्त कार्य. (सभी सामग्री सहित). (संलग्न G/Schedule के अनुसार) एवं 2 स्थानों पर बाऊंड्री वाल का निर्माण कार्य. (संलग्न G/Schedule के अनुसार)

समूह क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम सैंदा विकास खंड, तखतपुर (उल्लेखित विवरण के अनुसार)	3.78 लाख	3780/-	750/-	2 माह	"बी श्रेणी" एवं उससे ऊपर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	ग्राम गिरधोना विकास खंड, तखतपुर में नवनिर्मित आर. सी. सी. टंकी के चारों ओर बाऊंड्री वाल का निर्माण.	0.85 लाख	2000/-	300/-	1 माह	"सी श्रेणी" एवं उससे ऊपर
3.	तखतपुर नगर (विकास खंड तखतपुर) में स्थित स्टोर बिल्डिंग के चारों ओर बाऊंड्री वाल का निर्माण.	1.00 लाख	2000/-	300/-	1 माह	"सी श्रेणी" एवं उससे ऊपर

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा की अन्य शर्तें मुख्य निविदा एवं संक्षिप्त निविदा सूचना के अनुसार होगी. निविदा की अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

2. निविदा प्रपत्र एवं अन्य संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र का मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रुपये 50/- (पचास रु. मात्र) डाक शुल्क देना होगा. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र खो जाने अथवा समय पर प्राप्त न होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. यह निविदा विज्ञप्ति संबंधित निविदा का अंग है. विस्तृत निविदा सूचना एवं संबंधित प्रपत्रों की सारी शर्तें एवं नियमों के साथ इसके शर्तें भी लागू होंगे.

4. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

5. कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित दर सूची इस निविदा में लागू होगी.

सिविल कार्य :—

(अ) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़क), भोपाल की नई दर सूची दिनांक 1-1-2000 से इस विभाग में लागू की गई है.

(ब) पाईप लाईन बिछाने का कार्य :—प्रमुख अभियंता, लोक स्वा. यां. विभाग, भोपाल (म. प्र.) की नयी Unified Schedule of Rates for the work of water Supply & Sewerage pipe lines inforce for 1-9-2002 जो कि छ. ग. शासन उप-सचिव, लोक स्वा. यां. विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1597/सचिव/लो. स्वा. यां./रायपुर, दिनांक 1-10-2004 के अनुसार लागू की गई है.

उपरोक्त दोनों दर सूची निविदा जारी होने की दिनांक से समस्त संशोधन सहित लागू होगी.

6. कार्य में लगने वाले G.I. Pipes (Class Medium) का प्रदाय ठेकेदार को स्वयं करना होगा एवं कार्य स्थल तक परिवहन लोडिंग-अनलोडिंग ठेकेदार को स्वयं करना होगा. किसी भी तरह की टूट-फूट के लिये स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होगा.

7. कार्य में लगने वाला सीमेंट ठेकेदार को स्वयं क्रय कर कार्य में लगाना होगा. सीमेंट का प्रदाय ISI मार्क OPC सीमेंट IS:A 269/75 पूर्ण संशोधित लगाना होगा, साथ ही Test प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

8. कार्य में लगने वाले G. I. Pipes (Class Medium), के लिए लगने वाले वाल्व, स्पेशल्स, एवं अन्य आवश्यक सामग्री ठेकेदार को स्वयं

लगाना होगा. प्रदाय की जाने वाली सामग्री D.G.S. & D./S.G.C./RITES द्वारा संबंधित I.S. Code के अनुसार निरिक्षित एवं सत्यापित होनी चाहिये.

9. कार्य में लगने वाला स्टील ठेकेदार को लगाना होगा एवं स्टील का Testing प्रमाण पत्र समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा.

10. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा कम/अधिक की जा सकती है.

11. सक्षम अधिकारी को निविदा स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

12. निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.
(Attested copy)
(1) नवीन आयकर प्रमाण पत्र/छ. ग. शासन का वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण पत्र.
(2) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र.
(3) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निष्पादन प्रमाण पत्र के साथ संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये समान प्रकार के कार्यों की सूची, कार्य अनुबंधवार छ.ग. शासन के बिक्री पर पंजीकृत प्रमाण पत्र तथा कार्य का नाम मंडल/विभाग का नाम, कार्य की मात्रा, प्रगति में कार्य की स्थिति तथा टिप्पणियों के साथ कार्यों की सूचि संलग्न करना होगा. सफलतापूर्वक कार्य के संपादन हेतु उपलब्ध उपकरण/संयंत्रों की पूरी सूची.

13. छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 1-10-2004 के अनुसार कार्य के निरीक्षण में Third party Inspection का प्रावधान रखा गया है. इस तरह का निरीक्षण, बिलासपुर संभाग के अन्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सक्षम अधिकारी (बिलासपुर खंड को छोड़कर) समय-समय पर किया जावेगा. निरीक्षण के पश्चात् ही Payment schedule के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान कार्य की गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात् किया जावेगा.

14. समस्त विवादों का निपटारा "सक्षम न्यायालय" में बिलासपुर जिले के अन्तर्गत किया जावेगा.

15. निविदा सूचना छ.ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders में भी उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार/फर्म उक्त विज्ञप्ति E MAIL के माध्यम से Pramarao @ e.g.nic. प्राप्त कर सकते हैं.

"निविदा आमंत्रण सूचना" (द्वितीय सूचना)

बिलासपुर, दिनांक 13 जुलाई 2005

निविदा क्रमांक 14/त.शा./का. यं./लो. स्वा./2005-2006.—मुहरबंद एकल समूहवार एकमुश्त निविदाएं प्रपत्र "एफ" में नीचे उल्लेखित नल जल प्रदाय योजना के कार्य हेतु टर्न की जाब के आधार पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 12-08-2005 को अपरान्ह 3.00 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, (छ.ग.) के निर्धारित अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा के तकनीकी प्रस्ताव निम्न तिथि अर्थात् दिनांक 12-08-2005 अपरान्ह 3.30 बजे निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे. निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि तथा स्थान की सूचना तकनीकी प्रस्ताव खोलने के बाद दी जावेगी.

कार्य का नाम

निम्नलिखित ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आर. सी. सी. उच्च स्तरीय जलागार का डिजाईन, निर्माण, परीक्षण व स्थापित करना (सभी पाईप स्पेशल तथा फिटिंग आदि के प्रदाय तथा स्थापना सहित)

पु. क्र.	कार्य स्थल का विवरण	ठेके की संभावित राशि रु. लाखों में	धरोहर की राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम- कोडापुरी विकास खंड तखतपुर की नल जल योजना के अन्तर्गत टंकी निर्माण का कार्य, टंकी की क्षमता 75 किलो लीटर, टंकी की ऊंचाई 12 मीटर.	6.00	5000/-	750/-	4 माह	A-I/S-I एवं उससे ऊपर

शर्तें

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10-08-2005 तक (कार्यालयीन अवधि) में प्राप्त किये जावेंगे. कोरे निविदा प्रपत्र एवं संबंधित अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में दिनांक 11-08-2005 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगवाने पर रुपये 50/- अतिरिक्त शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु डाक से विलंब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा. निविदा की अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जावें, एवं उसके साथ निम्नलिखित जानकारियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

1. नवीन आयकर प्रमाण पत्र एवं छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्यिककर पंजीयन प्रमाण पत्र.

2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र.

3. निविदा कार्य का समरूप पूर्ण किये गये कार्य एवं अन्य प्रगतिशील कार्यों की सूची जिसमें कार्य का स्थान, अनुबंध की राशि, कार्यादेश का संदर्भ, कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्य पूर्ण करने की वास्तविक अवधि एवं कार्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करना होगा.

4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया 125 के. एल. अथवा उससे अधिक क्षमता का उच्च स्तरीय आर. सी. सी. जलागार के निर्माण कार्य के संतोषप्रद संपादन का प्रमाण पत्र जो कार्यपालन अभियंता, के स्तर से नीचे का अधिकारी न हो.

5. सफलता पूर्वक कार्य पूर्ण करने हेतु उपलब्ध उपकरण एवं संयंत्रों की सूची.

अन्य शर्तें

1. एकमुश्त निविदा दर समस्त कर एवं अधिभार जो कार्य संपादन के समय प्रभावी हो सहित होना चाहिये.

2. कार्य हेतु ठेकेदार को आई. एस. आई. मार्क की आवश्यक ओ. पी. सी. सीमेंट आई. ए. 269-1975 की स्वयं लगाना होगा. साथ ही टेस्ट प्रमाण पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा.

3. विलंब से प्राप्त निविदा अथवा निर्धारित स्वरूप में धरोहर राशि प्राप्त न होने पर प्रस्तुत निविदा बिना खोले ही निविदादाता को वापस कर दी जावेगी.

4. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी को होगा.

5. निविदाकार को वर्तमान में प्रगतिरत टंकी के कार्य का विवरण जैसे स्थान, विभाग, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का उल्लेख कर विवरण देना होगा.

6. जिस निविदाकार ने निविदा दिया है, तथा उनकी दर न्यूनतम एवं विचाराधीन है, इसके अन्तर्गत स्थान, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का पूर्ण उल्लेख होना चाहिये.

7. यदि किसी तथ्य को छुपाया जावेगा तो निविदाकार से नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

8. निविदाकार को न्यूनतम 125 किलो लिटर या उससे अधिकतम क्षमता की उच्च-स्तरीय आर. सी. सी. टंकी सफलतापूर्वक निर्माण का अनुभव (प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा एवं प्रमाणीकरण कार्यपालन अभियंता, के स्तर अथवा उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी का होना चाहिये.

9. टंकी का एलीवेशन विभाग से स्वीकृत करना होगा.

10. समस्त विवादों का निपटारा सक्षम न्यायालय में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

11. निविदा सूचना छ. ग. के बेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tender में उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार उक्त विज्ञप्ति e-mail के माध्यम से Pramarao@e.g.nic. से प्राप्त कर सकते हैं.

12. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

निविदा आमंत्रण सूचना

बिलासपुर, दिनांक 13 जुलाई 2005

निविदा क्रमांक 15/त.शा./का. अ./लो. स्वा./05-06.—मुहरबंद एकमुश्त निविदाएं प्रपत्र "एफ" (LUM SUM) नीचे उल्लेखित जल आवर्धन जल प्रदाय योजनाओं के लिये सम्पवेल के निर्माण कार्य हेतु "TURN KEY JOB" के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निर्धारित अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है. निविदाओं का तकनीकी प्रस्ताव नियत तिथि अर्थात् दिनांक 12-08-2005 अपरान्ह 3.00 बजे निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा.

निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि तथा स्थान की सूचना तकनीकी प्रस्ताव खोलने के उपरांत दी जावेगी.

समय सारिणी निम्नलिखित है (केवल बिलासपुर खंड में)

(1)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	:	10-08-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	:	11-08-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(3)	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	:	12-08-2005 (अपरान्ह 3 बजे तक)
(4)	निविदा खोलने की अंतिम तिथि (केवल तकनीकी प्रस्ताव)	:	12-08-2005 (अपरान्ह 3.30 बजे तक)

कार्य का विवरण

निम्नलिखित नगरीय जल आवर्धन जल प्रदाय योजनाओं के लिए Construction of R.C.C. SUMP WELL (In flow measuring channel arrangements for disinfection of water etc. providing Installation of pipes & specials complate with testing etc. Including Design and Drawing)

Gr. No.	कार्य स्थल का विवरण	सम्पवेल की क्षमता	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	लोरमी जल आवर्धन योजना के तहत ZONE-I में 1 नग सम्पवेल का निर्माण (विकास खंड, लोरमी)	70 K.L (किलो लीटर)	3.00 लाख	3000/-	750/-	3 माह	"ए"।/एस। एवं ऊपर
B.	तखतपुर जल आवर्धन योजना के तहत ZONE-I में एक नग सम्पवेल का निर्माण (विकास खंड, तखतपुर)	30 K.L (किलो लीटर)	1.50 लाख	2000/-	300/-	3 माह	"ए"।/एस। एवं ऊपर

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन पत्र उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार प्राप्त किये जावेंगे. कोरे निविदा प्रपत्र एवं संबंधित अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाने पर 50/- अतिरिक्त शुल्क समूहवार जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं. परन्तु डाक द्वारा विलंब से प्राप्त होने की दशा में विभाग उत्तरदायी नहीं होगा. निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जावें, एवं उसके पास निम्नलिखित जानकारियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

2. नवीन आयकर प्रमाण पत्र एवं छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्यकर पंजीकृत प्रमाण पत्र.

3. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ. ग. राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र.

4. निविदा कार्यो के समरूप पूर्ण किये गये एवं अन्य प्रगतिशील कार्यों की सूची जिसमें कार्य के अनुबंध की राशि, कार्यादेश का संदर्भ, कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक एवं कार्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख होना चाहिये.

5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निविदा में उल्लेखित क्षमता के अनुरूप या उससे अधिक क्षमता का भूस्तरीय R.C.C. SUMP WELL के निर्माण कार्य के संतोषजनक संपादन का प्रमाण पत्र जो कार्यपालन अभियंता के स्तर से नीचे के अधिकारी का न हो.

6. सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने हेतु उपलब्ध उपकरण एवं संयंत्रों की सूची.

7. निविदा प्रपत्र सिर्फ R.C.C. टंकी निर्माण की पंजीकृत ठेकेदारों को ही प्रदाय किये जावेंगे.

अन्य प्रमुख शर्तें

1. एकमुश्त निविदा दर समस्त कार्य एवं अधिभार जो कार्य संपादन के समय प्रभावी हो, सहित होना चाहिये.

2. कार्य हेतु ठेकेदार को I.S.I. मार्क की O.P.C. सीमेंट I.S./269/75 पूर्ण संशोधित, स्वयं क्रय कर लगाना होगा, साथ ही सीमेंट का Testing प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

3. ठेकेदार को कार्य में स्टील स्वयं लगाना होगा एवं Steel Testing प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा.

4. विलंब से प्राप्त निविदा अथवा निर्धारित स्वरूप में धरोहर की राशि प्राप्त न होने पर प्रस्तुत निविदा बिना खोले ही निविदादाता को वापस कर दी जावेगी.

5. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी का होगा.

6. निविदाओं की वैधता निविदा खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक होगी.

7. कार्य स्थल पर कार्य की देखरेख के लिये एक स्नातक अनुभवी अभियंता तैनात रहेगा.

8. समस्त विवादों का निपटारा "सक्षम न्यायालय" में बिलासपुर जिले के अन्तर्गत किया जावेगा.

9. उक्त निविदा छ. ग. शासन के बेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders पर देखी जा सकती है, जिसे E-MAIL के माध्यम से Pramarao@c.g.in. के जरिये प्राप्त किया जा सकता है.

कार्यपालन अभियंता,
लोक. स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2005

क्रमांक/249/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री प्रकाश चंद पारख आत्मज श्री प्रेमचंद पारख कुंदन पैलेस बैरनबाजार रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 4-7-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री प्रकाशचंद शशिकांत प्रकाश चेरिटेबल ट्रस्ट , कुंदन पैलेस बैरनबाजार रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	यूनियन बैंक आफ इंडिया रायपुर खाता नं. 327002010813296 राशि 1,00,000=00 (एक लाख रुपये मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रायपुर, दिनांक 4 जून 2005

क्रमांक/250/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री प्रकाश चंद पारख आत्मज श्री प्रेमचंद पारख कुंदन पैलेस, बैरनबाजार रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 4-7-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री प्रेमचंद कुंदन देवी प्रकाश चेरिटेबल ट्रस्ट, कुंदन पैलेस, बैरनबाजार रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	यूनियन बैंक आफ इंडिया रायपुर खाता नं. 327002010813297 राशि 1,00,000=00 (एक लाख रुपये मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रायपुर, दिनांक 22 जून 2005

क्रमांक/251/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री मदनलाल अग्रवाल आत्मज श्री प्रभु दयाल अग्रवाल, रामकुंज शांतिनगर, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 22-7-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	"सेवा मित्र चेरिटेबल ट्रस्ट" राजेन्द्र नगर, रिंग रोड रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	केडरल बैंक रायपुर खाता नं. सी. ए. 111 राशि 5908=00 रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	टिकरा पारा प. ह. नं. 114 ख. नं. 317,321- 7230 वर्गफीट.

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिये]

पाटन, दिनांक 7 जुलाई 2005

पंजीयक, लोक न्यास पाटन, जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक/1014/प्र 1/2005.—चूंकि गायत्री परिवार ट्रस्ट निवासी आमालोरी तहसील पाटन जिला दुर्ग ने छ. ग. पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13-10-2005 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं एम. आर. भारद्वाज पंजीयक लोक न्यास जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 13-10-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट ग्राम आमालोरी तहसील पाटन.
(2)	संपत्ति का विवरण	:	गायत्री मंदिर, सोना चांदी के मुकुट , बर्तन, आलमारी, कुर्सी, टेवल, हारमोनियम आदि.

आज दिनांक 6-7-2005 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिये]

पाटन, दिनांक 7 जुलाई 2005

पंजीयक, लोक न्यास पाटन, जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक/1014/प्र 1/2005.—चूंकि गायत्री परिवार ट्रस्ट निवासी पाटन. तहसील पाटन, जिला दुर्ग ने छ. ग. पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13-10-2005 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सपंत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं एम. आर. भारद्वाज पंजीयक लोक न्यास पाटन जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 13-10-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट पाटन, जिला दुर्ग.
(2)	संपत्ति का विवरण	:	हारमुनियम, स्टील आलमारी, सायकल, बर्तन, फर्नीचर, सिलाई मशीन, कृषि भूमि 0.75 डि. कुल कीमत 53,850/- रुपये.

आज दिनांक 6-7-2005 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एम. आर. भारद्वाज,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, बालोद

प्रारूप-पांच

[नियम 5(1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

बालोद, दिनांक 25 जून 2005

लोक न्यास के पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी बालोद जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक/967/प्र. 1/अविअ/2005.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा (2) की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं एल. एन. नाग बालोद, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 25-07-2005 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपर्युक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम और पता : श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट बालोद, जिला दुर्ग (छ. ग.)

(2) संपत्ति का विवरण :

बिजली के सामान	2200.00
प्रचार सामग्री (माईक सेट, टेपरिकार्डर आदि)	2000.00
फर्नीचर	4066.00
बर्तन	1786.00
पूजा सामान	514.00
साहित्य	17465.00

(काउण्टर शोकेस, युगनिर्माण साहित्य वागमय, कबीर दर्शन, कुरानशरीफ, गुरुमुख, साहित्य, बाइबिल, वेद पुराण, रामायण, गीता आदि)

एवं नगद राशि कैश बुक के अनुसार.

एल. एन. नाग,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.